SONo.- 2621
file no.-43015/10/2017-LA&IR
Block: Selected Dhori opencast Mine, Dist. Bokaro
Sect.-9
Co.- CCL

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2017, शनिवार/कार्तिक 21—कार्तिक 27, 1939
No. 46] NEW DELHI, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2017, SATURDAY/KARTIKA 21—KARTIKA 27, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

का.आ. 2617.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अमर सिन्हा के स्थान पर विदेश मंत्रालय में सचिव (ईआर) श्री विजय केशव गोखले (आईएफएस: 1981) को अगले आदेशों तक भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा.सं. 9/16/2012-आईएफ-I]

सौम्यजित घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 10th November, 2017

S.O. 2617.—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (i) of Clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Sh. Vijay Keshav Gokhale (IFS: 1981), Secretary (ER), Ministry of External Affairs as Director on the Board of Directors of Export Import Bank of India (EXIM Bank) vice Sh. Amar Sinha until further orders.

[F. No. 9/16/2012-IF-I]

SOUMYAJIT GHOSH, Under Secy.

U-V Line starts from point 'U' and passes in village Bhandardei along northern boundary of plot number 45/3 and meets at point 'V'.

V-T Line starts from point 'V' and passes in village Bhandardei along eastern boundary of plot number 45/3 and meets at starting point 'T'.

[F. No. 43015/19/2016-LA&IR]

R. S. SAROJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

का.आ. 2621.—केन्द्रीय सरकार के कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम,1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2097(अ), तारीख 03 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित, उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 7.45 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 18.41 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 7.45 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 18.41 एकड़ (लगभग), माप वाली भूमि के सभी अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 7.45 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 18.41 एकड़ (लगभग), माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आरईवी/10/2017, तारीख 06 अक्तूबर, 2017 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला बोकारो, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक,1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, ढोरी क्षेत्र, जिला बोकारो (झारखंड) या महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची- 834001 (झारखंड) या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची- 834008 (झारखंड) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

सेलेक्टेड ढोरी खुली खदान खान

जिला बोकारो (झारखंड)

(क्षेत्र की रेखांक संख्यांक आरईवी/10/2017, तारीख 6 अक्तूबर, 2017)

सभी अधिकार:

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
1.	तुरियो	चन्द्रपुरा	78	बोकारो	18.41	7.45	भाग
		कुल :			18.41 एकड़ (लगभग)	7.45 हेक्टेयर (लगभग)	

ग्राम तुरियो में अर्जित की गई भूमि की प्लॉट संख्या : 01(भाग).

सीमा वर्णन:

क-ख-ग-घ-ङ-च-छ	-	रेखा, प्लॉट संख्या 01 के भीतर बिन्दु 'क' से प्रारंभ होकर प्लाट संख्या 01 के भीतर बिन्दु 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ' और 'च' से होते हुए बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
छ-ज-झ-ञ-ट-ठ	-	रेखा, बिन्दु 'छ' से 'ठ' तक प्लॉट संख्यांक 308, 298, 294, 293, 285, 284 और 283 की सीमा रेखा से होते हुए बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।
ठ-ड-ढ-ण-त-थ-द-ध-न-प-फ-ब-क	-	रेखा, बिन्दु 'ठ' से 'ब' तक प्लॉट संख्यांक 273, 25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 11, 10 और 9 की सीमा रेखा से होते हुए प्लॉट संख्या 01 के भीतर प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा.सं. 43015/10/2017-एलए एण्ड आईआर]

आर. एस. सरोज, अवर सचिव

New Delhi, the 10th November,2017

S.O. 2621.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal vide S.O. 2097(E), dated the 3rd July, 2017, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th July, 2017, the Central Government gave notice of its intention to acquire the all rights in and over the land measuring 7.45 hectares(approximately) or 18.41 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the all rights in and over land measuring 7.45 hectares (approximately) or 18.41 acres (approximately), described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over land measuring 7.45 hectares (approximately) or 18.41 acres (approximately), described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/10/2017, dated the 6th October, 2017 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District -Bokaro, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata -700001 or in the Office of the General Manager, Dhori Area, District Bokaro, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001, Jharkhand or Chief General Manager(Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi - 834008, Jharkhand.

SCHEDULE

Selected Dhori Opencast Mine
District- Bokaro (Jharkhand)

[Plan bearing number Rev/10/2017, dated the 6th October, 2017]

All Rights :

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area (in acres)	Area (in hectares)	Remarks
1.	Turio	Chandrapura	18	Bokaro	18.41	7.45	Part
Total:					18.41 acres (approximately)	7.45 hectares (approximately)	

Plot number acquired in village Turio: 01(P).

Boundary Description:

A-B-C-D-E-F-G	:	Line starts from point 'A' within plot number 01 and passes through points 'B', 'C', 'D', 'E', and 'F' and meets at point 'G' within plot number 01.
G-H-I-J-K-L	:	Line passes through points 'G' to 'L' through boundary line of plot numbers 308, 298, 294, 293, 285, 284 and 283 and meets at point 'L'.
L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-A	:	Line passes through points 'L' to 'W' through boundary line of plot numbers 273, 25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 11, 10 and 9 and meets at starting point 'A' within the plot number 01.

[F. No. 43015/19/2017-LA&IR]

R. S. SAROJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

का.आ. 2622.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 2208 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2017, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप–खंड (ii), तारीख 13 जुलाई, 2017 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 1252.447 हेक्टर (लगभग) या 3094.79 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो गया है कि इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1252.447 हेक्टर (लगभग) या 3094.79 (लगभग) माप की उक्त भूमि और ऐसी भूमि में के या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है:

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरवीयूएन/पीसीबी/सीबीए/7/1, तारीख 21 जुलाई, 2017 का निरीक्षण जिला कलेक्टर, जिला सुरजपुर और सरगुजा (छत्तीससढ़) या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001 के कार्यालय में या अपर मुख्य इंजीनियर (ईंधन) या उप मुख्य इंजीनियर (ईंधन) या उप मुख्य इंजीनियर (कोयला), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) – 302005 के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :–

अर्जन की बाबत् आपत्तियां:

"8.(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते है ।"

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता–700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 1290 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2017, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में 25 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित की गई थी, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।